





02-01-2020 - अभिलेख उपस्थापित। हल्का नं० III के मौजा-नावडीह के खाता सं० 05, प्लॉट नं० 75 के जमाबंदी रयत गम्भीर के वंशज बसन्त कुं राय, शुभदेव राय, संजय कुमार राय, जनार्दन राय, नारायण राय तथा जयप्रकाश राय उपस्थित।

स्वतिथान के अनुसार आवंटित भूमि का कुल रकबा 16 डी० दर्ज है, जबकि Online पंजी II में रकबा 34.27 1/2 एकर दर्ज पाया गया। स्वतिथान तथा पंजी II में दर्ज रकबा के भिन्नता के जांच के क्रम में तथा दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि हल्का III के मौजा-नावडीह के खाता सं० 5, प्लॉट सं० 75 के Online पंजी II में रकबा 16 डी०समिल स्थान पर 34.27 1/2 एकर दर्ज हो गया है। गम्भीर राय के वंशज उक्त भूटि सुधार हेतु लिखित आवंटन समर्पित किया।

अतः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर हल्का सं० III, मौजा-नावडीह, खाता सं० 5, प्लॉट सं० 75 में Online पंजी II में 34.27 1/2 एकर के स्थान पर 16 डी०समिल दर्ज करने की अनुमति दी जाती है।

अंचल उपनिरीक्षक (हल्का II) तथा अंचल निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि आवंटित भूमि में Online सुधार करके करना सुनिश्चित करें।

2.01.2020  
अंचल अधिकारी  
देवरी।

महाराज  
शुभदेव राय के वंशज गम्भीर के वंशज बसन्त कुं राय, शुभदेव राय, संजय कुमार राय, जनार्दन राय, नारायण राय तथा जयप्रकाश राय उपस्थित।  
16/1/20